

Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)


अज अदालत उपखण्ड अधिकारी,

मुकाम श्रीडूंगरगढ

सुरेश पुत्र चुनाराम जाति मेघवाल निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
बनाम चुनाराम वगैरह

राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 91/2025

U/S 212 RTA

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
09.06.2025	<p>आज यह प्रार्थना पत्र सुरेश ने जरिये श्री प्रकाश राजपुरोहित अधिवक्ता मार्फत पेश किया। प्रार्थी ने अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को इकतरफा सुना गया।</p> <p>बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि खेत खसरा नम्बर 2812/1475 तादादी 2.4000 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 2813/1861 तादादी 2.3600 हैक्टेयर कुल तादादी 4.7600 हैक्टेयर वाकरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ में आगामी तारीख पेशी तक मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करें। आगामी तारीख पेशी तक तलबी न होने की स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।</p> <p>अप्रार्थीगण को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो जरिये असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी दिनांक 22.07.2025 को आकर पेश करें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 22.07.2025 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ</p>	 <p style="text-align: right;">21221 D.g. by me</p>

09.06.2025

आज यह प्रार्थना पत्र सुरेश ने जरिये श्री प्रकाश राजपुरोहित अधिवक्ता मार्फत पेश किया। प्रार्थी ने अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को इकतरफा सुना गया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि खेत खसरा नम्बर 2812/1475 तादादी 2.4000 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 2813/1861 तादादी 2.3600 हैक्टेयर कुल तादादी 4.7600 हैक्टेयर वाकरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ में आगामी तारीख पेशी तक मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करें। आगामी तारीख पेशी तक तलबी न होने की स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।

अप्रार्थीगण को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो जरिये असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी दिनांक 22.07.2025 को आकर पेश करें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 22.07.2025 को पेश हों।



21221
D.g. by me